झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

चतुर्थ झारखण्ड विधान–सभा
सप्तम् (शीतकालीन)सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण– सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन के नियम– 147 के अन्तर्गत दिनांक– 21.11.2016 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :–

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01–	श्री अरूप चटर्जी स0वि0स0	झारखण्ड के मुख्यमंत्री सह गृहमंत्री अपने वक्तव्यों में सर्वत्र घोषित करते फिर रहे हैं कि वे अपराध को लेकर जीरो टॉलेरेंस रखते हैं लेकिन धरातल की वास्तविकता कुछ और ही बताती है। मुझे सादर सूचित करना है कि चास थाना कॉड संख्या 139/15 दिनांक– 01.04.2015 के दो अभियुक्तों भवनीत सिंह बिन्द्रा एवं नरेन्द्र सिंह सलूजा के विरूद्ध गुरूद्वारा के पैसों को गबन गरने को लेकर पिछले डेढ़ वर्ष से भा0द0वि0की धारा 406/409/4।9/420/467/468/471 एवं 120 (बी) के अन्तर्गत गिरफ्तारी के लिए वारण्ट जारी हैं लेकिन बोकारो पुलिस ने उनको पकड़ने की जहमत नहीं उठाई है जबकि वे बेखौफ होकर बाजारों में सरेआम घूम रहे है। बोकारो पुलिस के इस रवैये से स्थानीय सिख जनता अत्यधिक आक्रोशित है। मैं उपरोक्त अपराधियों को अवलिम्ब गिरफ्तार करने हेतु ध्यान आकृष्ट करता हूँ।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन
02–	श्री राधाकृष्ण किशोर स0वि0स0	झारखण्ड पुलिस विभाग में विभिन्न पदों पर कार्यरत अनुसूचित जाति/जनजाति के पदाधिकारियों/पुलिसकर्मियों को वरीयता सूची के आधार पर अनारक्षित कोटि में भी वर्ष 2014 तक प्रोन्नति दी गई है। परन्तु वर्ष 2016 में झारखण्ड पुलिस विभाग में विभिन्न पदों पर कार्यरत पदाधिकारियों/पुलिसकर्मियों को वरीयता के आधार पर अनारक्षित कोटि में प्रोन्नति नहीं दी गई। पुलिस विभाग में विभिन्न पदों पर कार्यरत अनुसूचित जाति/	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन

01.	02.	03.	04.
		जनजाति को वरीयता के आधार पर अनारक्षित कोटि में प्रोन्नति नहीं देना भारतीय संविधान के 85वाँ संशोधन अधिनियम 2001, जिसके तहत यह निर्णय लिया गया है कि "अनुसूचित जाति/जनजाति के सरकारी सेवक आरक्षण नियम के तहत प्रोन्नति में अपनी वरीयता बनाये रखेंगे" का घोर उल्लंघन किया गया है। जानकारी के अनुसार उक्त विषय के संबंध में विधान सभा की समिति गठित है। इसके बाद भी पुलिस विभाग समान्य जातियों की प्रोन्नति दे रहा है। जबतक विधान सभा समिति का निर्णय नहीं आता है तब तक प्रोन्नति रोका जाय। अतःअनुसूचित जाति/जनजाति के पदाधिकारियों व पुलिसकर्मियों को वरीयता सूची के अनुसार अनारक्षित कोटि में प्रोन्नति देने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ।	
03-	श्रीमती गीता कोड़ा एवं श्रीमती जोबा मांझी स0वि0स0	राज्य में मानव तस्करी भयावह रूप ले चुकी है विशेषकर जनजाति बाहुल्य जिलों में यह और भी खतरनाक रूप ले चुकी है। वर्ष 2012 से 2016 तक मानव तस्करी के कुल 395 मामले दर्ज किये गये लेकिन सजा सिर्फ तीन मामलों में दिलायी जा सकी। वर्ष 2005 से वर्ष 2015 तक तीन हजार से अधिक लोगों के लापता होने की सूचना पुलिस में दर्ज की गई, परन्तु प्रशासन द्वारा बरामदगी पर ठोस कार्रवाई नहीं की गई। एक हजार से अधिक बच्चों एवं महिलाओं को महानगरों में बेचने का आरोपी कुख्यात मानव तस्कर पन्ना लाल को जमानत मिलना गंभीर चिन्ता का विषय है। अतः मानव तस्करी रोकने हेतु प्रशासनिक जिम्मेदारी तय करने सह विशेष अन्वेषण बल का गठन करने की ओर आसन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करना चाहते हैं।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन
04-	श्री योगेश्वर महतो स0वि0स0	झारखण्ड प्रदेश में सर्वे वर्ष 1908 से 1932 तक विभिन्न चरणों में हुआ हैं। उस सर्वे खतियान में जमीन का किस्म और प्रकृति दर्ज है। वर्त्तमान में पूरे राज्य में बहुत से अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/पिछड़ा वर्ग/सी0एन0टी0 में	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार

कृ0पृ0उ0

		दर्ज सूचियों की जाति/ गैरमजरुवा/जंगल-झार की परती जमीन में अन्य लोगों का घर द्वार है, कब्जा मे है, जोत दखल कर अपना गुजर-बसर कर रहे है। इस तरह जमीन का किस्म और प्रकृति वर्त्तमान में बदल गया है मगर पुराने सर्वे खतियान के चलते वैसे जोत-दखल एवं कब्जा में रहने के बावजूद लोगों को जमीन का स्वामित्व अंचल कार्यालय से प्राप्त नहीं हो पाता है, जिससे अनेक तरह की भ्रांतियाँ एवं संशय बना हुआ है। अतः सरकार का ध्यानाकृष्ट करना चाहता हूँ कि झारखण्ड राज्य में वर्त्तमान में सर्वे कराकर सर्वे खतियान उपलब्ध कराने की सुनिश्चित कार्रवाई की जाय, ताकि जनहित एवं राज्य हित में जमीन संबंधी अनावश्यक विवाद का निपटारा संभव हो सके।	
05-	सर्वश्री शशि भूषण सामाइ, कुणाल षड़ंगी एवं श्री प्रदीप यादव स0वि0स0	झारखण्ड राज्य में बीते कुछ दिनों से IPS की धारा 353 के आधार पर दर्ज मामलों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। एक सर्वे के मुताबिक इसमें से लगभग 55-60% मामले जन आन्दोलन, सरकारी नीतियों का विरोध कार्यक्रम जैसी परिस्थितियों में दर्ज हुए है। झारखण्ड राज्य में धारा 353 गैरी जमानती होने के कारण राजनीति कारणों से भी पुलिस द्वारा झूठे मुकदमें दर्ज करने में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। पड़ोसी राज्य बिहार में भी धारा 353 जो जमानती धारा में परिवर्तित किया जा चुका है। अतः सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि भारतीय संविधान की मूल भावना को बचाऐ रखने के लिए झारखण्ड में भी इसे जमानती धारा बनाई जाए।	विधि

राँची,
दिनांक- 21 नवम्बर, 2016 ई0।

बिनय कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

कृ0पृ030

ज्ञाप सं0-ध्या0 एवं अना0प्र0-45/2016-3470/वि0 स0, राँची, दिनांक- 19.11.2016

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ मा0 राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता उच्च न्यायालय राँची/ गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग/राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग एवं विधि विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/11/16

(एस0 शिराज वजीह बंटी)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-ध्या0 एवं अना0प्र0-45/2016-3470/वि0 स0, राँची, दिनांक- 19.11.2016

प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय/आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव के सूचनार्थ प्रेषित।

19/11/16

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष/-

19.11.16